भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना
ग्राम – शहजादपुर (बिशनपुर)
विकासखंड – नारायणपुर
जनपद – भागलपुर, बिहार

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	**शहजादपुर**
विकासखंड	**नारायणपुर**
जनपद	**भागलपुर**
राज्य	**बिहार**
कुल बजट	**20,56,000.00**
क्रियान्वयन अवधि	**5 वर्ष**

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु

परिचय	1
सहमति पत्र	2
भाग – 1 प्रस्तावना	4
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	6
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	6
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	6
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	6
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	7
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	7
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	8
2.7 कृषि एवं पशुपालन	8
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	9
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	9
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	9
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	9
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	10
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	10
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	11
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	13
भाग –5 नियोजन का उद्देश्य	15
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति	17
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	17
6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	17

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां	**18**
6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	**18**
6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	**19**
6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां	**19**
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	**20**
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	**21**
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	**21**
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	**23**
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	**23**
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	**27**
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	**29**
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	**29**
7.5 विवाद का निपटारा	**30**
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	**30**
7.7 सफलता के सूचक	**30**
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	**32**
2 सामाजिक मानचित्र	**33**
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	**34**
4 फोटो गैलरी	**37**

मानचित्र

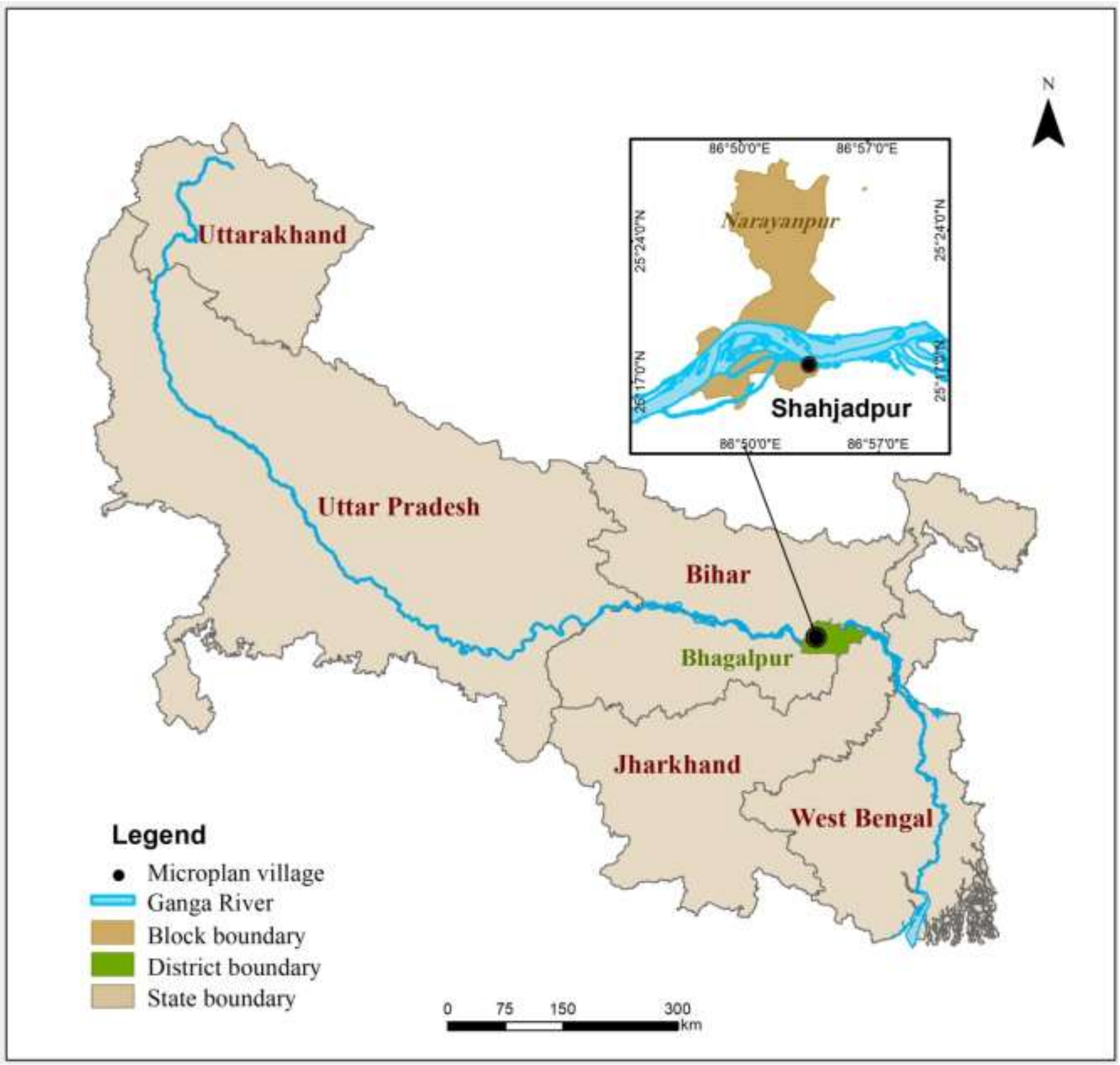
N
86°50'0"E
86°57'0"E
25°24'0"N
25°17'0"N
Narayanpur
Shahjadpur
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Bhagalpur
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 75 150 300
km

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्वार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत् (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

रूपेश मंडल
मुखिया
ग्राम पंचायत शहजादपुर,
प्रखण्ड-नारायणपुर, जिला-भागलपुर
9472084192
7260970587

आवास :
ग्राम-अमरी, पो०-अमरी विशनपुर
थाना-बिहपुर, प्रखण्ड-नारायणपुर
जिला-भागलपुर, (बिहार)
मो० : 8651475707

पत्रांक 16/19

दिनांक 26/06/2019

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत-शहजादपुर, प्रखंड-नारायणपुर, जिला-भागलपुर मे विभिन्न बैठको, कार्यशालाओ एवं प्रशिक्षणो के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गई है। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा कि जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय कृत्य योजना तैयार की गई है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक मे चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत मे इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

Rupesh Mandal
26/06/2019

मुखिया
ग्राम पंचायत-शहजादपुर
प्रखंड-नारायणपुर (भागलपुर

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	शहजादपुर
अवस्थिति	25.2908 अक्षांश एवं 86.8842 देशान्तर
विकासखंड	नारायणपुर
जिला	भागलपुर
राज्य	बिहार
जिला मुख्यालय भागलपुर से दूरी	13 कि0मी0
तहसील मुख्यालय नारायणपुर से दूरी	15 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	1.00 कि0मी0
कुल जनसंख्या	15500
कुल परिवार	1800
मुख्य जातियाँ	मण्डल, तांती, पासवान, पौद्दार, शाह, गंगोता, धोबी, हरिजन, ठाकुर आदि

मुख्य समस्याएँ	• नदी तट पर कृषि • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • खुले में शौच, • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता, • नदी किनारे की वनस्पति का उपयोग • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• समुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत शहजादपुर बिहार राज्य के भागलपुर जिले के नारायणपुर विकासखण्ड में स्थित है। यह राज्य की राजधानी पटना से 210 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत शहजादपुर का पिनकोड 812005 तथा पोस्ट ऑफिस शहजादपुर है। शहजादपुर में मैथिली, हिन्दी, तथा उर्दु भाषा बोली जाती है। शहजादपुर पंचायत से गंगा नदी 1 कि0मी0 की दूरी पर बहती है। गंगा के चारों तरफ यहाँ के लोगों द्वारा खेती, मत्स्य आखेट एवं पशुपालन का कार्य होता है। बाढ़ के कारण गंगा किनारे लगातार कटाव के कारण गाँव की भौगोलिक स्थिति बदल रही है। हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अयोध्या के पंड़ितों द्वारा एक महायज्ञ किया जाता है। अंग प्रदेश का भाग होने के कारण यहाँ पर अंगिका भाषा भी बोली जाती है। ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। गाँव 25.2908 अक्षांश तथा 86.8842 देशान्तर पर बसा है। गाँव में संयुक्त एवं एकल परिवार रहते हैं।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

शहजादपुर गंगा के तट पर स्थित है, गाँव में सभी जाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें मण्डल, तांती, पौद्धार, पासवान, शाह, गंगोता, धोबी, हरिजन, ठाकुर प्रमुख हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गंगा पर निर्भरता है। समुदाय की आजीविका खेती व मजदूरी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत के आसपास गंगा नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। जिनमें गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। समुदाय की गंगा पर निर्भरता होने व जागरूकता की कमी का सीधा प्रभाव गंगा की जैवविविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने और यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

जनपद भागलपुर में नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात् उस क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण का कार्य कर रही संस्था "मंदार नेचर क्लब" के सदस्यों साथ मिलकर गाँवों का भ्रमण किया गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व उद्देश्यों को बताया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

गंगा नदी का स्थानीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रहा है, हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले सारे धार्मिक क्रियाकलाप, मेले, त्यौहार आदि गंगा नदी के किनारे ही आयोजित किये जाते हैं। गंगा नदी समुदाय को आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है। ग्राम पंचायत शहजादपुर में कुल 1800 परिवार रहते हैं। ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 15500 है, जिसमें 8500 पुरूष और 7000 महिलाएँ हैं। यह ग्राम पंचायत 108 हैक्टेयर के क्षेत्र में स्थापित है। ग्राम पंचायत में सभी समुदाय (हिन्दू, मुस्लिम) तथा जातियों (अनुसूचित जाति, सामान्य, अन्य पिछड़ावर्ग) के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। कुल 100 परिवारों के पास कृषि भूमि है अन्य परिवार दूसरे लोगों की भूमि पर खेती (बटाई पर) करते हैं या कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं।

गाँव में मकर संक्रान्ति मेला, माघ मेला, अन्य धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तथा ग्राम पंचायत में 4 खण्ड गाँव भी अवस्थित है। यहाँ पर पारम्परिक मेलों तथा त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय है, जिनके शिक्षकों के द्वारा समय–समय पर शिक्षा साक्षरता के लिए जागरुकता का कार्य किया जाता है। अभी भी ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम 13.3 प्रतिशत है, जिस हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्कूल में नामांकन हेतु अभियान चलाये जाते हैं।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय –

शहजादपुर ग्राम पंचायत में कुल 1800 परिवारों में से केवल 100 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है। 1600 परिवार इन परिवारों की भूमि पर कृषि करते हैं। आय का कोई एक पूर्णकालिक स्रोत न होने के कारण अधिसंख्य परिवारों को आय के अलग–अलग स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें से 110 परिवार स्वरोजगार करते हैं, 50 परिवार सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में है, 20 मल्लाह परिवार नौकायन करते है, गंगा तट पर 500 परिवारों के द्वारा खेती की जाती है। 900 परिवार द्वारा कृषि मजदूरी, मनरेगा, ऑटो चालन, तथा अन्य मजदूरी कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत में 600 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते है। इन 600 परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है। ग्राम पंचायत में आय का द्वितीयक स्रोत पशुपालन, मछली का शिकार तथा नदी किनारे की खेती (Riverbed farming) है।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत में सरकारी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पेयजल हेतु 1100 व्यक्तिगत हैडपंप हैं। जिससे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। ग्राम पंचायत में 1000 शौचालय निर्मित हैं, जिसमें 876 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हैं तथा 124 शौचालय समुदाय द्वारा स्वयं बनाये गये हैं। 800 परिवारों द्वारा अभी शौचालय नहीं बनाये गये हैं। गाँव में बने कुल शौचालयों में से केवल 46 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है, अन्य लोग गंगा नदी के किनारे तथा खेतों में शौच के लिये जाते हैं। शौचालय उपयोग न करने का प्रमुख कारण पानी की उपलब्धता न होना तथा जागरूकता की कमी होना है।

कूड़ा निस्तारण सभी परिवारों के द्वारा स्वंय के स्तर पर किया जाता है गांव में सार्वजनिक या पंचायत का कूड़ा डम्पिंग क्षेत्र नहीं है, कूड़े को अपने घर के आसपास, खेतों में तथा नदी के किनारे डाला जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहां पर कूड़ा निपटान हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित था, परंतु ग्राम पंचायत के पास जमीन उपलब्ध न होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पाया है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत शहजादपुर में समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है, पंचायत की कुल 108 हैक्टेयर भूमि हैं, जिसमे 96 हैक्टेयर सिंचित कृषि क्षेत्र है तथा 12 हैक्टेयर जमीन असिंचित है। पंचायत में रहने वाले कुल 1800 परिवारों में से 100 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है जिसमें प्रमुख रुप से कृषि की जाती है, बाकी लगभग 1600 परिवार कृषि श्रमिक है, तथा 500 परिवारों के द्वारा गंगा नदी के किनारे मौसमी खेती की जाती है। कृषि भूमि पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। शहजादपुर ग्राम पंचायत में 1800 परिवारों के पास कुल 14500 पशु हैं, जिनमें से 4000 गाय, 8000 भैंसें तथा 2500 बकरियाँ हैं। 75 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे मोथा, कर्मी, जूर, कषि, दूब, कुश, कांस आदि घासें पाई जाती हैं। जिन्हें चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

ग्राम पंचायत शहजादपुर में पेयजल आपूर्ति 1100 हैण्डपम्पों के द्वारा की जाती है, पंचायत में 400 पम्पसेट से गेंहू की खेती सिंचित की जाती हैं। क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस एवं औसत वार्षिक वर्षा 1111 मिमी0 है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

पंचायत में पहुँच निजी वाहन से अथवा पैदल होता है तथा 10 कि0मी0 की दूरी पर सरकारी एवं प्राइवेट बस स्टेशन हैं। गाँव में डाकघर व मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हैं। नजदीकी अस्पताल गाँव से 20 किमी0 दूर भागलपुर में स्थित है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गाँव के आसपास आम, अमरूद, जामुन, आड़ू, कटहल, बरगद, नीम, अशोक, अमलतास, गुलमोहर, पीपल, शहतूत, डेकन, महुआ, पुतरंजीवा, पापुलर, यूकेलिपटिस आदि वन सम्पदा पायी जाती है। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। गंगा नदी के किनारे अंगोला, कुश, कांस आदि घास पाई जाती हैं। यहाँ पर गंगा नदी की जैवविविधता भी प्रचुर मात्रा में है, जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, ऊदबिलाव, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ एवं प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियों, नौकायन, कृषि, पालीज खेती, के लिये नदी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। गंगा नदी के तट पर स्थित कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 500 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से परवल, भिण्डी, टमाटर, बैंगन, तोरी, लौकी, करेला, परोल, खीरा, आलू, ककड़ी, प्याज आदि की खेती की जाती है। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा बना हुआ है। गंगा के तटों पर कृषि होने के कारण व चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों और पक्षियों के आवास खत्म हो रहे हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

शहजादपुर ग्राम पंचायत विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैवविविधता संरक्षण के लिये यहां पर मंदार नेचर क्लब द्वारा वन विभाग के सहयोग से जागरूकता व वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय स्तर पर नेचर क्लब का गठन किया जा रहा है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	121	11 समूह
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	8 कार्यकर्ता	
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	4 आंगनबाड़ी केन्द्र	440	
4	मंदार नेचर क्लब	नेचर क्लब	जैवविविधता संरक्षण	35	

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

भाग –3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

1. मल्लाह समुदाय
2. धार्मिक समूह
3. मंदार नेचर क्लब
4. विद्यार्थी समुदाय
5. कृषक
6. महिलायें एवं युवतियाँ
7. समुदाय आधारित संस्थायें – स्वंय सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, गंगा समिति।
8. विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।
9. केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

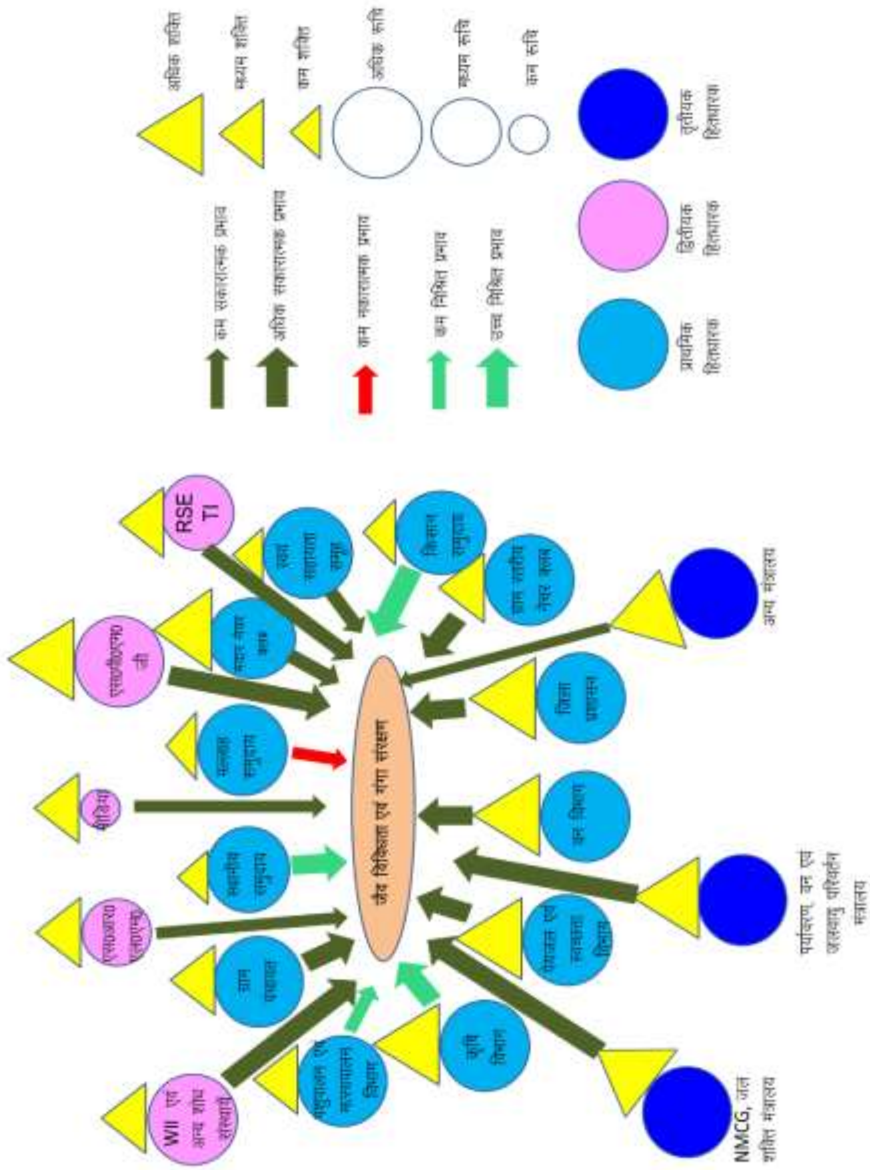

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत शहजादपुर में जैवविविधता संबंधी प्रमुख समस्या यहाँ के निवासियों द्वारा बड़ी मात्रा में नदी तट पर कृषि करना है।यहाँ पर 500 परिवारों के द्वारा गंगा की कछार भूमि पर कृषि की जाती है। जो यहाँ के निवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है, उत्पादकता बढ़ाने के लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुँचाते हैं।

शहजादपुर में मकर संक्राति, छठ, माघ मेले आदि के अवसर पर काफी जनसंख्या का दबाव रहता है। इस समय यहाँ पर आसपास के इलाकों से लोग स्नान आदि के लिये आते हैं। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही नदी किनारे शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण खुले में शौच की समस्या है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है।

शहजादपुर ग्राम पंचायत में लगभग 1600 परिवार पशुपालन करते हैं। गंगा के किनारे पर खेती होने के साथ ही गंगा के किनारे की वनस्पति पर पशुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहाँ पर गंगा के जलीय जीवों के आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

गांव के पास बहने वाली गंगा की मुख्यधारा से बरसात के मौसम में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके कारण कृषि भूमि एवं आबादी को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कटाव की स्थिति से जिला प्रशासन तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है।

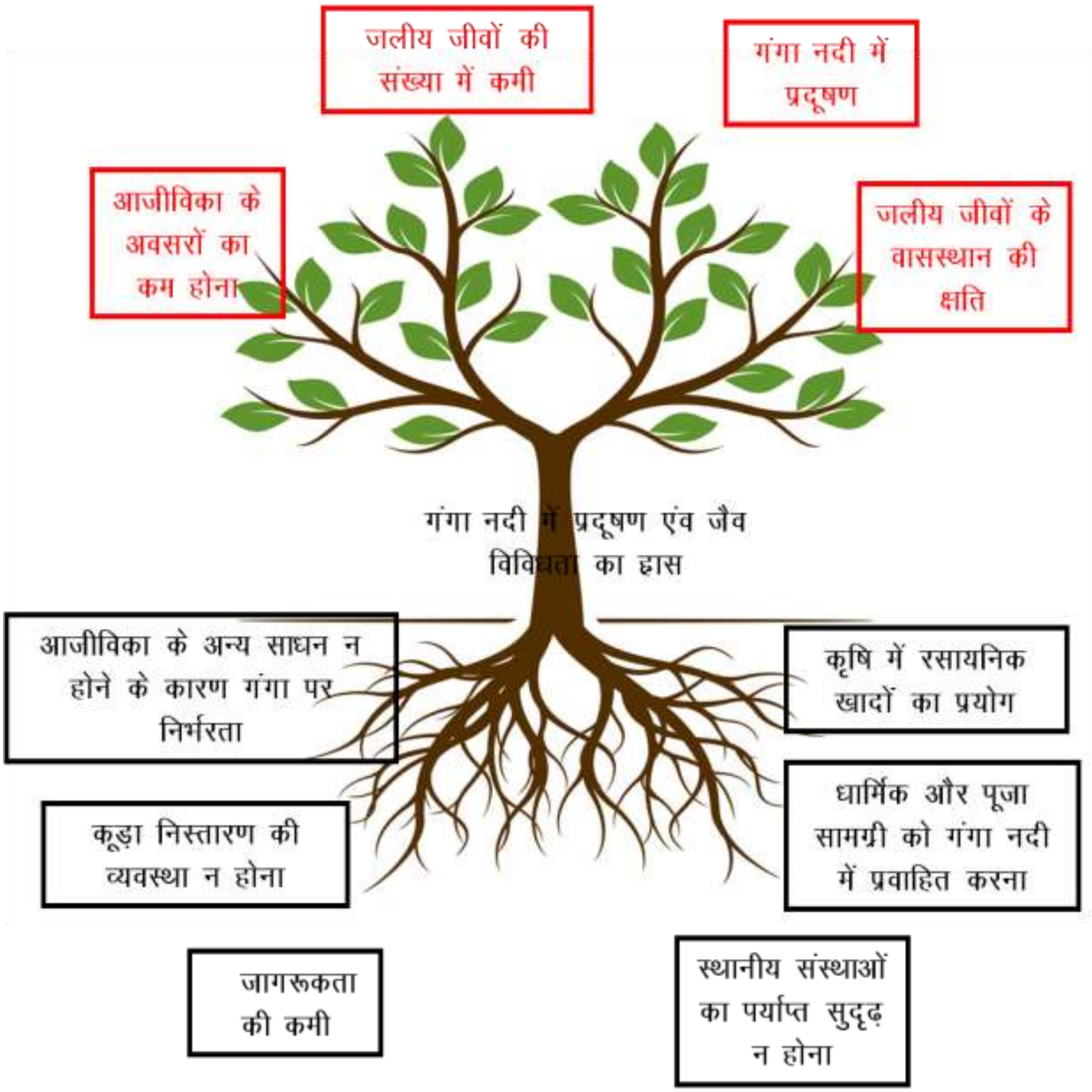

चित्र – 1 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उददेश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
3. आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिये आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

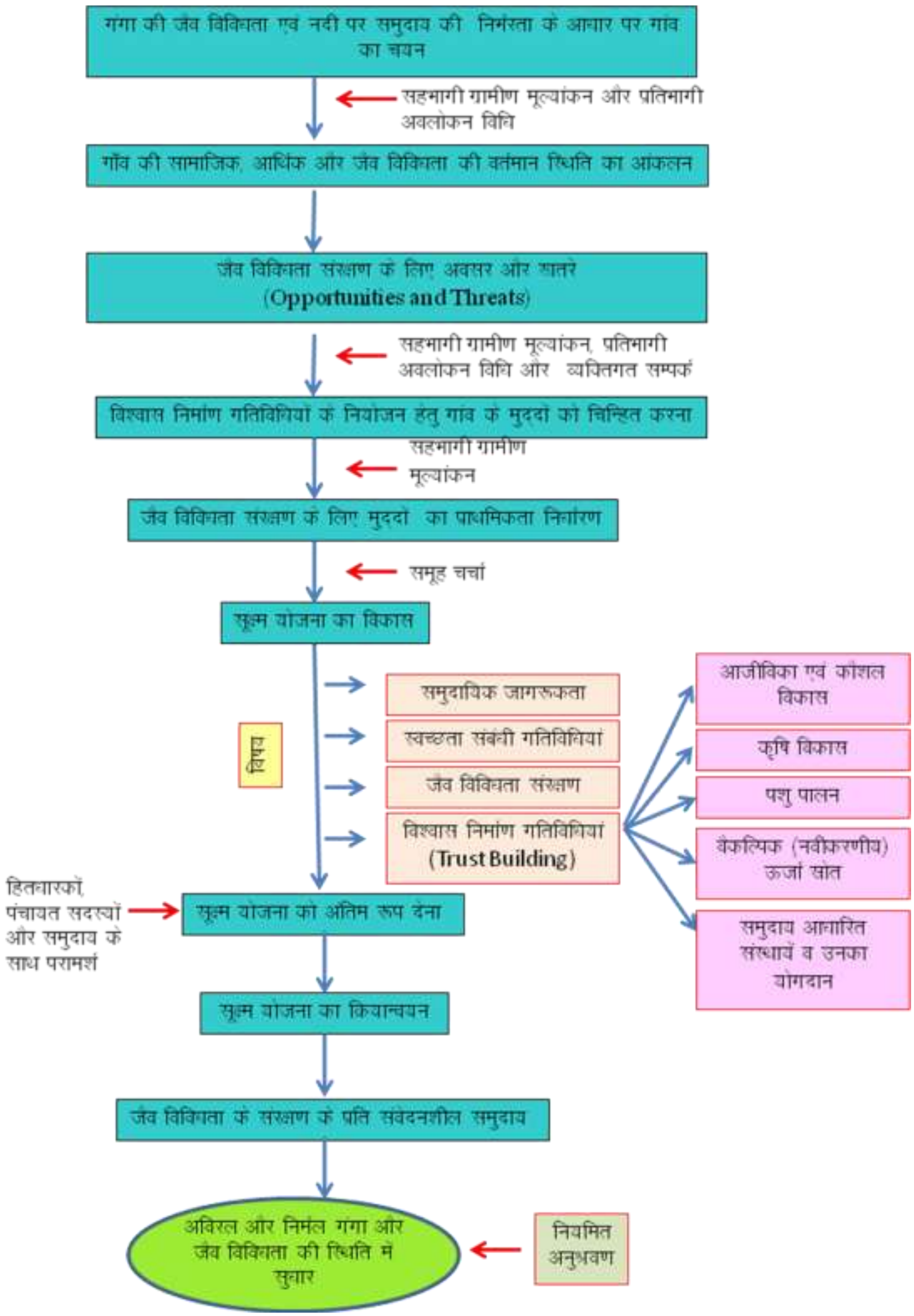

चित्र – 2 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन सेंचुरी से जुड़ा होने के कारण शहजादपुर के क्षेत्र में गंगा नदी में डॉल्फिन काफी संख्या में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कछुये और प्रवासी पक्षी भी पाये जाते हैं। ग्राम समुदाय को इनके संरक्षण से जोड़ने के लिये निम्न गतिविधियां की जानी हैं–

1. डॉल्फिन के संरक्षण के संबंध में जागरूकता के लिये अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
2. डॉल्फिन, कछुओं और पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व पर जागरूकता के लिये समंदाय में बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन।
3. पॉलिज की खेती करने वाले किसानों के साथ कछुओं के प्रजनन क्षेत्र और कछुओं के महत्व के बारे में चर्चा।
4. क्षेत्र में कार्य कर रहे मंदार नेचर क्लब के साथ मिलकर प्रवासी पक्षियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
5. विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में ग्राम स्तर पर गठित नेचर क्लब के सदस्यों का सहयोग लेना।
6. गंगा किनारे पशुओं को चराने से कछुओं के वासस्थान को हो रही हानि के संबंध में चर्चा।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

शहजादपुर ग्राम पंचायत में 11 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को सक्रिय करने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं –

1. स्वंय सहायता समूहों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जैवविविधता संरक्षण पर चर्चा के लिये बैठकों का आयोजन करना।
2. समूहों को सुदृढ़ करने के लिये उन्हें आजीविका प्रशिक्षणों से जोड़ना।
3. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।

4. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

शहजादपुर में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, घाट पर धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे के लिये गंगा नदी पर निर्भर हैं। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पड़ने वाले खतरों को बताते हुये उसके विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा। बड़ी संख्या में परिवारों के नदी किनारे खेती पर निर्भरता को देखते हुये यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। राज्य जीविका मिशन के साथ समन्वयन कर वैकल्पिक आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा सकता है।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी –

1. राज्य जीविका मिशन के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. गांव में बड़ी संख्या में परिवारों द्वारा पशुपालन किया जा रहा है जिसको देखते हुये विभिनन डेरी उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
3. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित अन्य प्रशिक्षणों सिलाई, अगरबत्ती व धूपबत्ती निर्माण, बर्ड गाइड आदि प्रशिक्षणों का संचालन।
4. डेरी उत्पाद निर्माण प्रशिक्षणों के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।
5. अधिक से अधिक परिवारों खासकर पालिज खेती करने वाले परिवारों के सदस्यों को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
6. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों के लिये बाजार की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने में सहयोग।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

शहजादपुर में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नही है जिससे गाँव में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है। ग्राम पंचायत व उसमें स्थित कच्चे घाट की स्वच्छता को बनाये रखना एक कठिन कार्य है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु सभी परिवारों के शौचालय न बने होने, घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालय एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने व बने हुये शौचालयों

का प्रयोग न किये जाने के कारण समस्या बनी हुई है। ग्राम स्तर पर गठित नेचर क्लब व गंगा प्रहरियों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से गाँव में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. पंचायत के माध्यम से गांव एवं घाटों पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. ठोस व तरल अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

शहजादपुर ग्राम पंचायत में 78 प्रतिशत परिवार उपलों (Dung cake) व पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। जिससे पर्यावरण के साथ ही पक्षियों के आवास क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है।
इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) आदि का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। पशुधन की अधिकता को देखते हुये बायोगैस संयत्र के निर्माण के लिये भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया जायेगा।
समुदाय एवं गंगा प्रहरियों को जैवविविधता के संरक्षण के लिये तैयार करने के लिये निम्न गतिविधियाँ की जानी है–

1. पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता की उपस्थिति और उसके महत्व पर प्रशिक्षणों का आयोजन।
2. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों (गंगा प्रहरियों) का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
3. ग्राम के पास नदी में उपलब्ध डॉल्फिन, कछुओं की प्रजाति के साथ ही घायल जीवों की हैंडलिंग के बारे में प्रशिक्षण।

4. मंदार नेचर क्लब की सहायता से प्रवासी पक्षियों की पहचान और उनके महत्व पर प्रशिक्षण।
5. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
6. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक समूह तैयार करना।
7. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। जिसमें से 500 से अधिक परिवारों द्वारा गंगा तट पर कृषि की जाती है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती एवं उसके आसपास की वनस्पति का प्रयोग अन्य कार्यों हेतु किये जाने के कारण जलीय जीवों मुख्यतः कछुओं एवं पक्षियों के आवास पर भी संकट है।

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
6. नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।
7. आजीविका के अन्य विकल्पों की जानकारी प्रदान करना एवं उसके लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

शहजादपुर में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 1600 परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. पशुओं की बड़ी संख्या को देखते हुये जैविक खाद बनाने और उसके विक्रय के लिये प्ररित किया जा सकता है।
2. समुदाय को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
3. पशुपालन के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार कर युवाओं को उसका लाभ लेने के लिये प्रोतसाहित किया जा सकता है।
4. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।
5. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
6. बंजर खेतों एवं मेढ़ों पर चारा घास रोपण के लिये प्रोत्साहित करना।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग
3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा), उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग–7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	डॉल्फिन के संरक्षण के संबंध में जागरूकता के लिये अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	डॉल्फिन, कछुओं और पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व पर जागरूकता के लिये समंदाय में बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	पॉलिज की खेती करने वाले किसानों के साथ कछुओं के प्रजनन क्षेत्र और कछुओं के महत्व के बारे में चर्चा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	क्षेत्र में कार्य कर रहे मंदार नेचर क्लब के साथ मिलकर प्रवासी पक्षियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में ग्राम स्तर पर गठित नेचर क्लब के सदस्यों का सहयोग लेना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	गंगा किनारे पशुओं को चराने से कछुओं के वासस्थान को हो रही हानि के संबंध में चर्चा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	स्वंय सहायता समूहों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जैवविविधता संरक्षण पर चर्चा के लिये बैठकों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

8	समूहों को सुदृढ़ करने के लिये उन्हें आजीविका प्रशिक्षणों से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	राज्य जीविका मिशन के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	गांव में बड़ी संख्या में परिवारों द्वारा पशुपालन किया जा रहा है जिसको देखते हुये विभिनन डेरी उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित अन्य प्रशिक्षणों सिलाई, अगरबत्ती व धूपबत्ती निर्माण, बर्ड गाइड आदि प्रशिक्षणों का संचालन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	डेरी उत्पाद निर्माण प्रशिक्षणों के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	अधिक से अधिक परिवारों खासकर पालिज खेती करने वाले परिवारों के सदस्यों को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
16	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों के लिये बाजार की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने में सहयोग।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से गाँव में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	पंचायत के माध्यम से गांव एवं घाटों पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।

19	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	ठोस व तरल अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता की उपस्थिति और उसके महत्व पर प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों (गंगा प्रहरियों) का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
23	ग्राम के पास नदी में उपलब्ध डॉल्फिन, कछुओं की प्रजाति के साथ ही घायल जीवों की हैंडलिंग के बारे में प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	मंदार नेचर क्लब की सहायता से प्रवासी पक्षियों की पहचान और उनके महत्व पर प्रशिक्षण।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
25	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
26	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक समूह तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
27	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
28	रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
29	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु

		विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
30	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
31	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
32	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
33	नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
34	आजीविका के अन्य विकल्पों की जानकारी प्रदान करना एवं उसके लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
35	पशुओं की बड़ी संख्या को देखते हुये जैविक खाद बनाने और उसके विक्रय के लिये प्ररित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
36	समुदाय को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
	पशुपालन के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार कर युवाओं को उसका लाभ लेने के लिये प्रोतसाहित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविरों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

	अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
	बंजर खेतों एवं मेढ़ों पर चारा घास रोपण के लिये प्रोत्साहित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम शहजादपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पंहुचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट शहजादपुर				
क्रम सं0	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	रैली	5	10000	50000
ii	नुक्कड़ नाटक	5	20000	100000
iii	दीवार लेखन	50	500	25000
iv	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	4	10000	40000
v	जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा।	6	5000	30000
vi	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	5	5000	25000

vii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	8	5000	40000
				310000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	8	30000	240000
ii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	4	20000	80000
iii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
iv	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
v	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
vi	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
vii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	100000	100000
				1060000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	2	50000	100000
iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियाँ शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	16	2000	32000

vi	गांव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	8	8000	64000
v	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
				346000
4	**मानवशक्ति एवं यात्राव्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु)	1	10000	240000
ii	यात्रा व्यय			100000
				340000
			कुल (1+2+3+4)	**2056000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समूहों, नेचर क्लब व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स के भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।

4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियो के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैव विविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा नदी की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर [illegible] ग्राम पंचायत, जिला भागलपुर राज्य बिहार और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 25/06/2019 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए सक्रिय भागीदारी, विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान–विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर: 25/06/2019

मुखिया
ग्राम पंचायत-[illegible]
प्रखंड-नारायणपुर (भागलपुर)

नाम:

पद:

दिनांक:

अनुलग्नक – 2

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत शहजादपुर

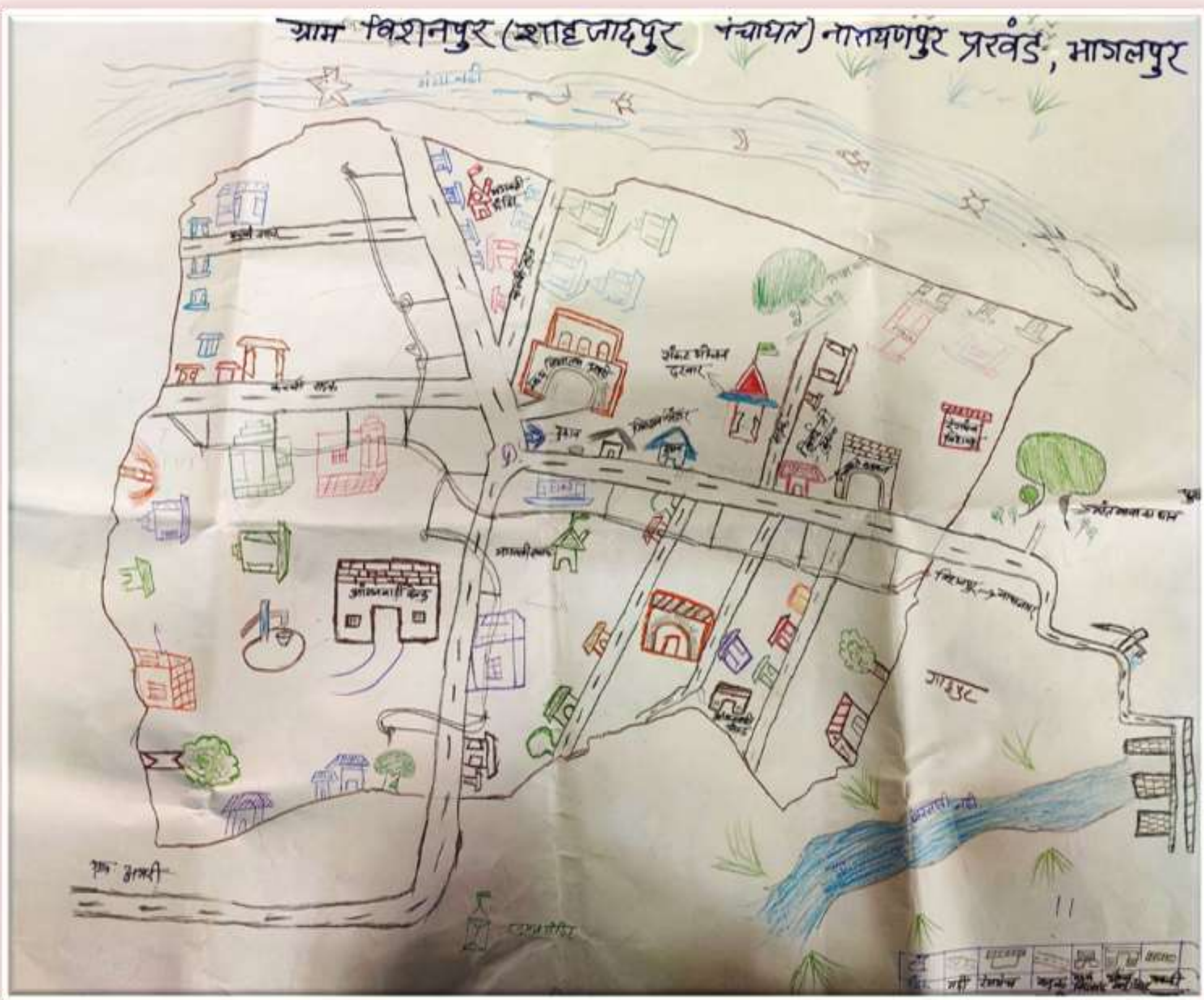

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

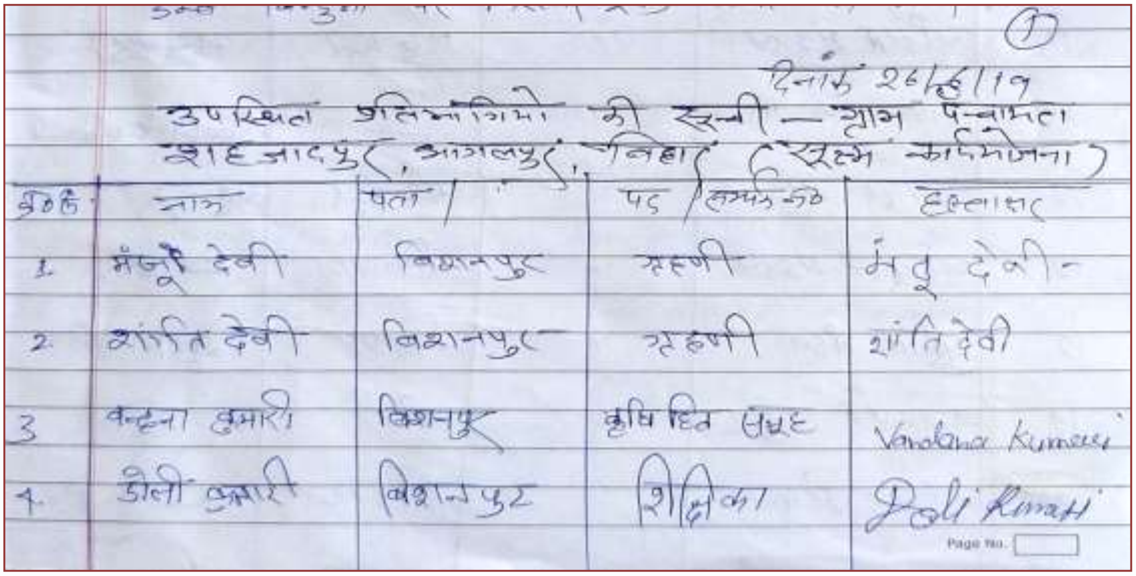

(1)

दिनांक 26/6/19

उपस्थित प्रतिभागियों की सूची – ग्राम पंचायत शाहजादपुर, आगलपुर, बिहार (सूक्ष्म कार्ययोजना)

क्र०सं०	नाम	पता	पद / सम्पर्क नं०	हस्ताक्षर
1	मंजू देवी	बिशनपुर	गृहणी	मंजू देवी
2	शांति देवी	बिशनपुर	गृहणी	शांति देवी
3	वन्दना कुमारी	बिशनपुर	कृषि हित समूह	Vandana Kumari
4	डोली कुमारी	बिशनपुर	शिक्षिका	Doli Kumari

(2)

Date 26. 6. 19

क्र०सं०	नाम	पता	पद / सम्पर्क नं०	हस्ताक्षर
5	सुमित्रा देवी	बिशनपुर	गृहणी	[illegible]
6	सिता देवी	बिशनपुर	गृहणी	सीता देवी
7	सिसिलिया देवी	बिशनपुर	गृहणी	सिसिलिया देवी
8	ओफेलिया देवी	बिशनपुर	गृहणी	[illegible]
9	मजरी देवी	बिशनपुर	,,	[illegible]
10	रामवती देवी	बिशनपुर	,,	रामवती
11	लीलम देवी	बिशनपुर	,,	[illegible]
12	मीरा देवी	बिशनपुर	,,	[illegible]
13	किरण देवी	बिशनपुर	,,	किरण देवी
14	[illegible] मंडल	,,	मछुवाड़ा	मछुवाड़ा
15	दीपनारायण मंडल	,,	–	Deep Mandal
16	बहादुर मंडल	,,	मछुवाड़ा	बहादुर
17	अनिल मंडल	,,	किसान	[illegible]
18	सुशील मंडल	,,	किसान	सुशील मंडल
19	बनारसी ठाकुर	,,	खेती	बनारसी [illegible]
20	शंकर मंडल	,,	किसान	शंकर कुमार [illegible]

③ Saathi

Date 26/6/19

क्र०सं०	नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
21.	योगेन्द्र मंडल	विशनपुर	किसान	योगेन्द्र मंडल
22	आशिष मंडल	"	किसान	आशिष मण्डल
23.	रामधारी मंडल	"	किसान	
24	चन्द्रशेखर मंडल	"	किसान	चन्द्रशेखर मंडल
25.	विन्देश्वरी मंडल	"	किसान	बिन्देश्वरी मंडल
26	शशिकान्त कुमार	नुरुद्दीनपुर	किसान	शशि कांत कुमार
27	Nishant Kr -	[illegible]	Jeevika Sakhi	Nishant Kr -
28	Mukesh Kumar	Bishampur	Ganga Prahari	Mukesh Kumar
29	डंगाराम मंडल	नुरुद्दीनपुर	मछुआरा	डंगाराम मंडल
30.	धनंजय ठाकुर	विशनपुर	वार्ड प्रतिनिधि	Dhananjay Thakur
31	अमरनाथ दास	नुरुद्दीनपुर	पंच प्रतिनिधि	अमरनाथ दास
32	[illegible] Mandal	Bishanpur	Falmar	[illegible] Mandal
32	[illegible]	[illegible] विशनपुर	किसान [illegible]	सरपंची मंडल पंचायत [illegible]
3 4	राजकिशोर [illegible]	विशनपुर	किसान	
35.	अनिल मंडल	विशनपुर	किसान	अनिल मंडल
36.	ऊधो मंडल	"	किसान	ऊधो मंडल
37	गौतम मंडल	"	"	गौतम

Page No.

(4) Saathi

Date 26.6.19

38.	नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
38	अनिल कुमार मंडल	अमरी	सिलाई	अनिल कुमार मंडल
39.	अभिनंदन कुमार	"	खेती	अभिनंदन कुमार
40	सुनील कुमार	[illegible]	[illegible]	सुनील कुमार
41	अभिनंदन कुमार	नुरुद्दीनपुर	छात्र	अभिनंदन कुमार
42	Anjani kumar	Nuruddinpur, ganga parhari		Anjani kumar
43	Madan kumar	Nusudinpur	Student	Madan kum
44.	सोनी देवी	बिशनपुर	गृहणी	Soni
45.	रश्मी देवी	बिशनपुर	गृहणी	रश्मी
46.	अर्चना कुमारी	बिशनपुर	गृहणी	अर्चना कुमारी
47.	छतीश मंडल	बिशनपुर	किसान	छतीश मंडल
48.	भिखारी मंडल	"	किसान	भिखारी मंडल
49.	सोने लाल मंडल	"	किसान	सुनील मंडल
50	सुबोध मंडल	"	किसान	सुबोध मंडल
51	अभिषेक कुमार	अमरी	student	Abhishek Kr.
52	राकेश कुमार	अमरी	"	Rakesh kumar
53.	नगालाल मंडल	बिशनपुर	किसान	नगालाल
54	अमर कुमार	नुरुद्दीनपुर	छात्र	Amar Kumar
55	अमित कुमार	अमरी	छात्र	Amit Kumar

Page No.

फोटो गैलरी

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

NMCG
National Mission for Clean
Ganga, Ministry of Jal Shakti

GACMC
Ganga Aqualife
Conservation
Monitoring Centre

Wildlife Institute of India
Post Box #18, Chandrabani
Dehradun - 248001
Uttarakhand, India t.: +91135
2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga